प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 385

परिशिष्ट - 'चौंतीस'

[19/7/2016]

खारक परियोजना से संबंधित प्राप्त शिकायत एवं निराकरण

प्रश्न सं. [क्र. 385]

प्रपत्र – 1

क्र.	शिकायतें प्राप्त होने का संदर्भ एवं दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	विषय	निराकरण
1	2	3	4	5
1	प्रभारी अधिकारी, जन सुनवाई केन्द्र कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 1404/दि. 17.06.14	मेवालाल पिता रामसिंग बारेला निवासी सुखपुरी	नहर निर्माण में कटी भूमि का मुआवजे का चेक कम प्रदाय करने बाबद्	खारक परियोजना के नहर निर्माण में आवेदक की कृषि भूमि तहसील भगवानपुरा के ग्राम बिलवा प.ह.न. 16 की खसरा क्रमांक 411/3 में रकबा 0.035 हेक्टर अर्जित किया गया है। जिसका मुआवजा शासन के नियम एवं गाईडलाईन अनुसार राशि रूपये 16242/– निर्धारित किया गया है। तद्नुसार ही आवेदक को भुगतान किया गया है।
2	कलेक्टर, खरगोन का पत्र क्र. 111/जशिनि/2014 दिनांक 30.12.2014	रविन्द्र कुमार आरसे, निवासी सुखपुरी	भूमि की मुआवजा राशि प्रदाय करने बाबद्	आवेदक की कृषि भूमि खारक योजना के नहर निर्माण में अर्जित की गई है। नियम व गाईडलाईन अनुसार मुआवजा राशि रूपये 44996/– का चेक भू–अर्जन अधिकारी, खरगोन द्वारा तैयार किया गया था, परन्तु समयावधि पूर्ण होने पर आवेदक को भुगतान नहीं हो पाया। वर्तमान में शासन द्वारा चेक से भुगतान व्यवस्था समाप्त कर ई–पेमेन्ट से भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है। भू–अर्जन अधिकारी को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड इसी माह प्राप्त हुआ है, तद्नुसार आवेदक का भुगतान कर दिया जावेगा।
3	प्रभारी अधिकारी, जन सुनवाई केन्द्र कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 1326/दि. 27.06.14	हामरिया पिता थावरिया भील निवासी नया बिलवा	नहर के मुआवजे की आपत्ति बाबद्	आवेदक द्वारा ग्राम नया बिलवा प.ह.न. 6 में खसरा क्रमांक 42/2 व 43/7 के भूमि के मुआवजे की मांग की गई है। स्थल परीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ है कि योजना की नहर उक्त खसरा स्थल से प्रभावित नही हो रही है। अतः मुआवजा भुगतान का प्रश्न नही उठता। खसरा क्र. 412/3 एवं 412/4 पर दर्ज कृषक जो हामरिया पिता थावरिया के भाई है जिन्हे अधिगृहित भूमि का मुआवजा पारित हुआ है। चूंकि हामरिया पिता थावरिया का नाम प्रभावित भूमि में दर्ज नही होने से इन्हे मुआवजा नहीं दिया गया है। वर्तमान में खसरा क्रमांक 412/3 व 412/4 पर हामरिया पिता थावरिया का कब्जा होने के कारण नहर खुदाई में व्यवधान डाला जा रहा है. नहर खुदाई हेतु कार्य स्थल पर उपस्थित एस.ए.एफ. आवेदक को समझाईश दी गई है।
4	प्रभारी अधिकारी, जन सुनवाई केन्द्र कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 1407/दि. 17.06.14	लालसिंग पिता पाच्या बारेला निवासी सुखपुरी	नहर निर्माण में कटी भूमि का मुआवजा प्रदान करने बाबद	आवेदक द्वारा उसकी कृषि भूमि ग्राम बिलवा प.ह.नं. 1/6 खसरा क्र. 411/2 रकबा 2.023 हेक्टर में से खारक तालाब के नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के मुआवजे की मांग की गई। स्थल निरीक्षण अनुसार योजना की नहर मौके पर कब्जा आवेदक लालसिंग पिता पाचा का है किन्तु नक्शा एवं राजस्व अभिलेख में स्थल पर आवेदक का कब्जा प्रमाणित नहीं हो रहा है। इस हेतु राजस्व अभिलेख में सुधार उपरान्त मुआवजा दिया जाना संभव होगा।
5	प्रभारी अधिकारी, जन सुनवाई केन्द्र कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 1424/दि. 02.07.14	भलसिंग पिता अनसिंग एवं अन्य निवासी ग्राम जूना बिलवा	खारक नदी की नहर हेतु अधिगृहित भूमि के संबंध में मौका निरीक्षण करवाते हुए कार्यवाही करने बाबद्।	आवेदक द्वारा योजना के नहर निर्माण में कहीं कम तो कहीं अधिक भूमि अधिगृहित करने की शिकायत की गई है। तत्संबंध में लेख है कि नहर निर्माण में नहर की चौड़ाई अनुसार ही भूमि अधिगृहित की जाती है। जहाँ नहर अधिक गहराई में खोदी जाती है वहा अधिक भूमि अधिगृहित की जाती है। जहा कम खोदी जाती है वहा कम अधिगृहित की जाती है। भूमि का अधिगृहण एक समान संभव नहीं है, भूमि अधिगृहण का भुगतान पारित अवार्ड अनुसार ही किया गया है। आवेदक द्वारा कम मुआवजा मिलने बाबद् लेख किया गया है। तद्नुसार मुआवजे का भुगतान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के प्रकार एवं पारित अवार्ड के अनुसार ही भुगतान किया गया है। नहर की खुदाई स्वीकृत एलाईनमेंट अनुसार ही की जा रही है।
6	प्रभारी अधिकारी, जन सुनवाई केन्द्र कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र 585/दि. 22.08.14 (सी. एम. आवेदन क्र. –284826/99/14)	रमेश निवासी नया बिलवा	मुआवजा अलग–अलग देने बाबद्	आवेदक द्वारा उसकी प्रभावित कृषि भूमि का मुआवजा रमेश पिता गोपाल के नाम से जारी होना बताया है। जबकि मुआवजा रमेश पिता गोपाल एवं सिलदार पिता मालसिंग के नाम से पृथक–पृथक जारी होना था। इस हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 3797/दि. 29.08.2014 के द्वारा मुआवजे का चेक पृथक–पृथक जारी करने के संबंध में प्रकरण मुलतः निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरगोन को प्रेषित है।

क्र.	शिकायतें प्राप्त होने का संदर्भ एवं दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	विषय	निराकरण
1	2	3	4	5
7	अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, खरगोन के पत्र क्र. 1642/दिनांक 22.06.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 120/08.04.2015)	खारक परियोजना अंतर्गत तालाब निर्माण में कार्य की कार्यवाही बाबद्।	पत्र में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन कार्या. पत्र क्र. 5132/कार्य/दिनांक 20.11.2015 के द्वारा मण्डल कार्यालय खरगोन को प्रस्तुत किया गया है। विभाग व ठेकेदार द्वारा कार्य निरन्तर तकनीकीरूप से कराया गया है, तथा कार्य के दौरान कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया गया है। गतवर्ष बाँध में पानी पूर्ण जल स्तर तक भरा गया था।
8	मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इन्दौर का पत्र क्र. 19/कार्य–12/735/मु.अ.न./ता./16/ दिनांक 18.01.2016	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. वी.ए./33/05.10.2015)	खारक तालाब का अतिरिक्त भराव वाला पानी की योजना बाबद्।	प्रतिवेदन कार्या. पत्र क्र. 450/दिनांक 04.02.2016 के द्वारा मण्डल कार्यालय खरगोन को प्रेषित। योजना में उपलब्ध 16.29 मि.घ.मी. जल से 8 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, मांग अनुसार मोहनखेड़ी एवं सिलोटिया में खारक का पानी पहुँचाया जाना तकनीकीरूप से साध्य नहीं है।
9	कलेक्टर, खरगोन का पत्र क्र. 348/ दिनांक 17.08.2015	श्री मनीष सिंह (पी.जी. आवेदन)	निर्माणाधीन तालाब की जाँच बाबद्।	बिन्दुवार प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्र. 3690/कार्य/दिनांक 27.08.2015 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, जन शिकायत निवारण कक्ष, खरगोन में प्रस्तुत। पत्र में उल्लेखित आरोप निराधार है एवं बाँध में कार्य उत्तम गुणवत्ता का है। अतः शिकायत नस्ती योग्य है।
10	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 20/दिनांक 24.01.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 21/दिनांक 08.01.2015)	विभिन्न विभागों द्वारा पत्रों के उत्तर नहीं देने बाबद्	कार्या. पत्र क्र. 937/दिनांक 07.03.2015 के द्वारा प्रतिवेदन जिसमें कार्यालयीन पत्र क्र. 74/दिनांक 09.02.2015 के द्वारा माननीय विधायक भगवानपुरा को उपलब्ध कराई गई जानकारी का उल्लेख करते हुए उसमें प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी मंत्री प्रकोष्ठ, खरगोन को प्रेषित।
11	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन पत्र क्र. 9/दिनांक 02.03.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 14/4/दिनांक 14.10.2014)	भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र खारक परियोजना कीनहरों के संबंध में	प्रतिवेदन कार्या. पत्र क्र. 937/कार्य/दिनांक 07.03.2015 के द्वारा प्रभारी अधिकारी मंत्री प्रकोष्ठ, कलेक्टोरेट खरगोन की ओर प्रेषित है। योजना में निर्माणाधीन कार्यों से संबंधित ठेकेदारों का विवरण कार्यालयीन पत्र क्र. 74/दिनांक 09.02.2015 के द्वारा माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा को प्रस्तुत।
12	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 27/दिनांक 09.04.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 104/दिनांक 08.04.2015)	खारक परियोजना के निर्माण कार्यों में लापरवाही बाबद्।	कार्या. पत्र क्र. 4230/कार्य/दिनांक 30.07.2015 के द्वारा प्रतिवेदन माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रेषित।
13	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 30/दिनांक 23.04.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 144/दिनांक 17.04.2015)	खारक तालाब की माप पुस्तिका की जानकारी बाबद्।	कार्या. पत्र क्र. 1707/कार्य/विधायक दिनांक 01.05.2015 के द्वारा प्रतिवेदन माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रेषित।
14	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 45/दिनांक 06.08.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 191/दिनांक 05.05.2015	खारक तालाब की नहरों का लेवल मेप उपलब्ध कराने बाबद्।	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर जानकारी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा को उपलब्ध करायी गई है।
15	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 57/दिनांक 01.06.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 304/दिनांक 27.05.2015)	खारक परियोजना की शिकायत बाबद्।	निराकरण प्रतिवेदन कार्या. पत्र क्र. 4002/दिनांक 15.07.2015 के द्वारा प्रभारी अधिकारी मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन की ओर प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि माननीय विधायक वि.स. क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रेषित।
16	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 60/दिनांक 04.062015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 315/दिनांक 2.06.2015)	जी–शेड्यूल आफ खारक तालाब आईटम रेट की जानकारी बाबद्।	जानकारी कार्या. पत्र क्र. 4228/कार्य/दिनांक 30.07.2015 के द्वारा सीधे माननीय विधायक वि.स. क्षेत्र भगवानपुरा को उपलब्ध करायी गई है।
17	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 61/दिनांक 04.06.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 316/दिनांक 2.06.2015)	खारक परियोजना की जानकारी बाबद्।	बिन्दुवार प्रतिवेदन कार्या. पत्र क्र. 4216/दिनांक 30.07.2015 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन की ओर प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि माननीय विधायक वि.स. क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रस्तुत

क्र.	शिकायतें प्राप्त होने का संदर्भ एवं दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	विषय	निराकरण
1	2	3	4	5
18	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 70/दिनांक 08.06.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 325/दिनांक 06.06.2015)	खारक परियोजना अंतर्गत शिकायत बाबद्।	बिन्दुवार प्रतिवेदन कार्या. पत्र क्र. 3703/दिनांक 27.06.2015 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन की ओर प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि माननीय विधायक वि.स. क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रस्तुत
19	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 107/दिनांक 16.10.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. पी.ए./31/दिनांक 05.10.2015)	खारक तालाब का अतिरिक्त भराव वाला पानी की योजना बाबद्।	प्रतिवेदन कार्या. पत्र क्र. 322/दिनांक 23.01.2016 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ, कलेक्टोरेट खरगोन की ओर प्रेषित करते हुए, प्रतिलिपि मान. विधायक वि.स. क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रस्तुत ।
20	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 111/दिनांक 29.10.2015	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. पी.ए./55/दिनांक 19.10.2015)	खारक तालाब के अतिरिक्त पानी हेतु प्रस्ताव भेजने बाबद्।	प्रतिवेदन कार्या. पत्र क्र. 324/दिनांक 23.01.2016 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ, कलेक्टोरेट खरगोन की ओर प्रेषित करते हुए, प्रतिलिपि मान. विधायक वि.स. क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रस्तुत ।
21	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 10/मसावि/ दिनांक 30.03.2016	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 13/दिनांक 11.03.2016)	खारक तालाब की दिवार से पानी रिसाव बाबद्।	प्रतिवेदन कार्या. पत्र क्र. 1732/कार्य/विधायक /दिनांक 22.04.2016 के द्वारा मान. विधायक वि.स. क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रस्तुत ।
22	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 11/मसावि/ दिनांक 30.03.2016	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (पत्र क्र. 14/ दिनांक 11.03.2016)	खारक तालाब की नहरों में गुणवत्ता विहीन सामग्री के उपयोग बाबद्।	कार्या. पत्र क्र. 1734/कार्य/विधायक/दिनांक 22.04.2016 के द्वारा प्रतिवेदन माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रेषित।
23	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 50/मसावि/ दिनांक 15.06.2016	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (दिनांक 09.06.2016)	खारक तालाब की दिवार से पानी की चोरी नहीं की गई	कार्या. पत्र क्र. 3126/कार्य/दिनांक 01.07.2016 के द्वारा निराकरण प्रतिवेदन माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रेषित।
24	प्रभारी अधिकारी, मंत्री प्रकोष्ठ कलेक्टोरेट, खरगोन का पत्र क्र. 51/मसावि/ दिनांक 15.06.2016	माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा (दिनांक 09.06.2016)	खारक की नहरों में भ्रष्टाचार	कार्या. पत्र क्र. 3124/कार्य/विधायक /दिनांक 01.07.2016 के द्वारा निराकरण प्रतिवेदन माननीय विधायक वि.स. क्षेत्र भगवानपुरा की ओर प्रेषित।

(राजेश पटेल)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, खरगोन